HIGH COURT AT ALLAHABAD

प्रेषक,

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद |

सेवा में,

1) मुख्य सम्पादक,
टाइम्स ऑफ इंडिया,
प्रयागराज |

2) मुख्य सम्पादक,
दैनिक जागरण,
प्रयागराज |

No 6319 Reg (P) ...................... Date 04-07-2025

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि निम्नलिखित नीलामी सूचना को आपके दैनिक समाचार पत्र में छापने के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें |

"नीलामी सूचना

सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सामग्री की नीलामी जहां है, जैसे है, के आधार पर तालिका में अंकित स्थान पर निविदा प्रकाशन तिथि से एक माह के अन्दर निविदा प्राप्त की जा सकेगी एवं प्रत्येक शनिवार अपराह्न 02:00 से 04:00 तक देखी जा सकेगी | नीलामी में वही व्यक्ति/संस्था भाग ले पायेगी जो निर्धारित धरोहर धनराशि, जी०एस०टी० प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां उप निबंधक(नजारत) को जमा की जायेगी | यह धरोहर धनराशि बैंकों द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूम में महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नाम देय होगी |

| सामग्री का विवरण | अनुमोदित लागत | सामग्री का स्थान | धरोहर धनराशि | नीलामी ... |
|---|---|---|---|---|
| निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रिकल्स/ मैकेनिकल वस्तुओं एवं निष्प्रयोज्य फायर फाइटिंग सामग्री | रू० 12,95,000/- | माननीय उच्च न्यायालय परिसर, कोविड सेन्टर राजापुर, हाईराइज भवन स्टैनली रोड, हाईकोर्ट रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स चौफटका कॉलोनी, इलाहाबाद | रू० 1,29,500/- | जहाँ है, जैसे है | |

**नियम/शर्तें :-** महानिबंधक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को नीलामी रद्द करने, तिथि परिवर्तित करने तथा उच्चतम दर प्रस्ताव(बिड) को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा | निविदा की सम्पूर्ण धनराशि 3 दिन के अन्दर शिड्यूल बैंक के द्वारा जारी ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी | सरकार द्वारा लागू जी०एस०टी०, सामग्री मूल्य पर अतिरिक्त, जिसकी बिड स्वीकृति होती है (खरीददार) द्वारा देय होगी | जी०एस०टी० जारी करने का प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही धरोहर धनराशि वापिस की जाएगी | समस्त न्यायालय विवाद का क्षेत्र प्रयागराज होगा | इस नीलामी की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाईट https://www.allahabadhighcourt.in/ पर प्राप्त की जा सकेगी|

निबंधक (प्रोटोकॉल/नजारत)
कृते महानिबंधक"

निबंधक (प्रोटोकॉल/नजारत)
कृते महानिबंधक

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD